न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 162/2011

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. बाबुलाल पुत्र भंवरसिंह
जाति-ब्राह्मण, निवासी-बिरामपुरी
तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

1. ओगड़राम पुत्र लाबुराम
2. जोगाराम पुत्र लाबुराम
3. पुनाराम पुत्र धुलाराम
4. बालुराम पुत्र हाफुराम फौत
के कायम मुकाम :-
4/1 ढ्गलाई पत्नि बालूराम
4/2 चेनाराम पुत्र बालूराम
4/3 अशोक पुत्र बालूराम
4/4 प्रकाश पुत्र बालूराम
4/5 लीलादेवी पुत्र बालूराम
5. अमरचन्द पुत्र हाफुराम
6. मांगीलाल पुत्र हाफुराम
7. भाकरराम उर्फ कैलाश पुत्र भोलाराम
8. रूपाराम पुत्र भोलाराम
9. रामलाल पुत्र भोलाराम
जाति-कुमावत, निवासी-बिरामपुरी
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

तारीख रजू:-22.07.2011

उपस्थितः- 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

दिनॉकः- 08/06/2015

-:: निर्णय ::-

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत् इस आशय का पेश किया कि वादी की खातेदारी एवम् कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा-बिरामपुरी, पटवार क्षेत्र-मोहराई, तहसील-जैतारण में खसरा नम्बर -56/1 रकबा 15 बीघा चाही प्रथम आई हुई हैं। नकल जमाबंदी सम्वत् 2066 से 2069 की पेश की हैं एवं ख.नं. 58 रकबा 0-08 बीघा गैर मुमकिन बेरा हैं। जिसमें वादी का 1/2 हिस्से अनुसार रोटेशन से पानी निकालकर खेतो की पिलाई करता हैं। यह है कि वादी खसरा नम्बर - 56/1 रकबा 15 बीघा का एक मात्र खातेदार काश्तकार है तथा खसरा नम्बर -58 रकबा 0-08 बीघा गैर मुमकिन बेरा में 1/2 हिस्सा हैं। उक्त कृषि भूमि पर एक मात्र कब्जा व काश्त भी वादी का हैं। वादी की खातेदारी के खेत के दक्षिणी तरफ कदीमी रास्ते से जो उतर से दक्षिण में हैं। वहॉ से पिढियो से आता जाता है तथा उपयोग

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

उपभोग व काम में लेता हैं। वादी की खातेदारी के खेत व कुए में प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नही है। फिर भी प्रतिवादीगण वादी के खातेदारी के खेत की बाड़ को खन्दक को खुर्दबुर्द व नुक्शान दिन प्रतिदिन करते है तथा उत्तर से दक्षिण खेत के आने जाने रास्ते मं भी दखल बाधा करते रहते है। वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त गैर कानुनी कृत्य कर ने से कहीं बार मना किया। परन्तु गैरसायलान जो कि संख्या में अधिक है व लाठी के बल पर वादी के खेत की खन्दक को खुर्दबुर्द व नुक्शान करते हैं। उक्त कृत्य को रोकने हेतु वादीगण ने वाद स्थाई स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया गया है। वादीगण की खातेदारी एवम् कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 56/1 रकबा 15 बीघा के खेत की बाड़ खन्दक / मेंड़ को तोड़फोड़ के अलावा भी वादीगण को अपनी खातेदारी के खेत में काश्त करने में भी दखल व दस्तन्दाजी की इतना ही नही प्रतिवादी उक्त कृत्य में सफल हो जाते है तो वादीगण अपने अधिकारों से महरुम होना पड़ेगा। वादी ने दिनांक 08/07/2011 को गैरकानूनी कृत्य करने से मना किया, तो प्रतिवादीगण और उग्र हो गये व वादी को गाली गलौच किया। लड़ाई झगड़ा पर आमादा हो गये तथा वादी को यह भी ऐलानियां धमकी दी कि तुम्हें तुम्हारी कृषि भूमि में नही जाने देंगे व काश्त भी नही करने देंगे व तुम्हारा रास्ता खेत में आने जाने का भी बन्द कर देंगे। यदि प्रतिवादीगण अपने मनसुबों में सफल हो जाते हैं, तो वादी अपने साम्पैतिक अधिकारों से नुक्शान उठाना पड़ेगा व उसे असीम हानि होगी व पक्षकारान् के बीच अनावश्यक मुकदमं बाजी बढेंगी। इसलिए वादी ने अपनी कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु व दखलन्दाजी/बाधा रोकने हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद प्रस्तुत किया है। वादी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 56/1 रकबा 15 बीघा व खसरा नम्बर –58 कृषि भूमि का नापचौप सैटलमेन्ट से जारी मोमे ट्रेसन नक्शे से किया जाना आवश्यक है। इस हेतु वाद में प्रतिवादीगण संख्या 10 तहसीलदार को पक्षकार बनाया गया है। वाद दिनांक 08/07/2011 को वादी के खातेदारी के खेत में प्रतिवादीगण दखल व दस्तन्दाजी करने लगे व खन्दक /बाड़ को खुर्दबुर्द नुक्शान करने लगे मना करने पर भी नही माने तथा अपनी भूमि की नापचौंप हेतु तहसीलदार, जैतारण को कहाॅ। तब बमुकाम–बिरामपुरी (मोहराई), तहसील–जैतारण में पैदा हुआ, जो श्रीमान के क्षैत्राधिकार में हैं।

वादी का वाद दर्ज किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–मोहराई में पेश हुई। वादी व प्रतिवादीगण स्वयं राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया कि उक्त आराजी में प्रतिवादीगण किसी प्रकार से दखलन्दाजी, तोड़फोड़ नहीं करेंगे। उक्त आराजी का सीमांकन करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को आदेश दिलाने बाबत् पेश किया, जिसे सा0मि0 किया गया। वकील वादी ने प्रति0 संख्या 4 फौत के वारिसान को रेकर्ड पर लेने बाबत् प्रार्थना पत्र 22 नियम 4 सीपीसी का पेश किया। मजमा–ए–आम में जानकारी प्राप्त कर प्रति0 संख्या 4 के का0मु0 रेकर्ड पर लिया गया। वादी राजस्व अभिलेख से खातेदार काश्तकार हैं। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाना एवं उक्त आराजी का सीमांकन करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को आदेश दिया जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

—:: आदेश ::—

अतः डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-बिरामपुरी, पटवार क्षेत्र-मोहराई, तहसील-जैतारण में खसरा नम्बर -56/1 रकबा 15 बीघा चाही प्रथम एवं ख.नं. 58 रकबा 0-08 बीघा गैर मुमकिन बेरा में वादी के काश्त काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं एवं उक्त आराजी का सीमांकन करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को आदेश दिया जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 किया गया। तहसीलदार, जैतारण को डिक्री पर्चा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 08/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-मोहराई पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

<u>डिक्री बमुकदमें इब्तदाई</u>

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:– जैतारण

बईजलास :– **श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0** वादी :–

वादी :–

बनाम

1. बाबुलाल पुत्र भंवरसिंह
जाति–ब्राह्मण, निवासी–बिरामपुरी
तह.–जैतारण, जिला–पाली(राज.)

प्रतिवादीगण :–

1. ओगड़राम पुत्र लाबुराम
2. जोगाराम पुत्र लाबुराम
3. पुनाराम पुत्र धुलाराम
4. बालुराम पुत्र हाफुराम फौत
   के कायम मुकाम :–
   4/1 ढगलाई पत्नि बालूराम
   4/2 चेनाराम पुत्र बालूराम
   4/3 अशोक पुत्र बालूराम
   4/4 प्रकाश पुत्र बालूराम
   4/5 लीलादेवी पुत्र बालूराम
5. अमरचन्द पुत्र हाफुराम
6. मांगीलाल पुत्र हाफुराम
7. भाकरराम उर्फ कैलाश पुत्र भोलाराम
8. रूपाराम पुत्र भोलाराम
9. रामलाल पुत्र भोलाराम
   जाति–कुमावत, निवासी–बिरामपुरी
   तहसील–जैतारण, जिला–पाली

मु0नं0 :रा0वा0स0:162/2011

<u>राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान</u>
<u>काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–बिरामपुरी, पटवार क्षेत्र–मोहराई, तहसील–जैतारण में खसरा नम्बर –56/1 रकबा 15 बीघा चाही प्रथम एवं ख.नं. 58 रकबा 0–08 बीघा गैर मुमकिन बेरा में वादी के काश्त काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं एवं उक्त आराजी का सीमांकन करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार, जैतारण को डिक्री पर्चा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व नीज ....–....मुबलिक.....–....बाबत.....–....को अदा करें। शहर....–....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक ....–.....

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 08/06/2015 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

मोहर

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रुपये पैसे	मुद्दायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02-00	स्टाम्प वकालतनामा	01-00
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	/
स्टाम्प वजह सबूत	03-00	महनताना वकील	
महनताना वकील	— —	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	04-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजानः-	10-00	मिजानः-	01-00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए देलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner